

## खालिमपुर ताम्रपत्र लेख

पालनेरवा धर्मपाल देव का यह ताम्र-  
पत्र लेख मालवा जिले के खालिमपुर ग्राम से प्राप्त हुआ  
है। इस अभिलेख से पालवंश के इतिहास की  
जानकारी होती है। इस अभिलेख में धर्मपाल  
की वंशावली तथा उसके राजनीतिक कार्यों का उल्लेख  
किया गया है। इस अभिलेख की भाषा संस्कृत  
है एवं अभिलेख को लिखने में कुटिल लिपि  
का प्रयोग किया गया है। उत्तर भारतीय लिपियों  
इस लिपि का प्रमुख स्वानुवाचक है। इस ताम्रपत्र  
के उपरी भाग पर चक्र के दोनों ओर शृंग के  
चित्र अंकित हैं जो भगवान बुद्ध के धर्मचक्र  
परिवर्तन का चिह्न है। पालवंशीय शासक  
बौद्धधर्म के अनुयायी थे। बौद्ध होते हुए भी  
उन्होंने वैष्णव मंदिर के लिए दान दिया यह  
उनकी धार्मिक सहजता का प्रतीक माना जा  
सकता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि  
ब्राह्मण धर्म उस समय बंगाल में प्रवेश कर गया था  
और अभिलेख में उल्लेख है कि लोट देवा का  
ब्राह्मण इस मंदिर का पुरोहित था। महाशिव  
नारायणदेव के कुमार शिवापाल ने यह दान  
पत्र जारी किया था। दान में दिये गये गौनों  
के वर्णन के अतिरिक्त उसने अपने पुत्रों की  
विशेषकर धर्मपाल के राजनीतिक कार्यों का  
सोवस्तार उल्लेख किया है। धर्मपाल को  
परमेश्वर, परमभयारक, परमसौगत, महाराजाधिराज  
श्रीमान धर्मदेव कहा गया है। उसी के राज्य  
काल में पाल साम्राज्य का विकास हुआ उन्ने  
राजकुट तथा गुर्जर राजाओं के हराकर  
कन्नौज के सिंहासन पर चक्रायुद्ध को पैदा  
इस लेख की सहायता से धर्मपाल की

निवि निश्चित की जा सकती है। यह दान का उसके  
अभिषेक के 25<sup>वें</sup> वर्ष जारी किया गया था। इसमें  
किसी सम्बन्ध का उल्लेख नहीं है किन्तु गद्दीपाल  
का एक सम्बन्ध अभिलेख सारनाम से प्राप्त हुआ  
है जिसमें विक्रम सम्बन्ध 1083 का उल्लेख है  
जो 1026 ई० के करार है। इसमें राजाओं  
के अभिलेखों में सिद्ध साल का उल्लेख किया  
गया है। चर्मपाल की निवि को जानने के लिए  
गद्दीपाल की निवि को आधार मानकर चलना होगा  
दानपत्र में उल्लेख है कि चर्मपाल ने 32 वर्ष  
राज्य किया। उसके उत्तराधिकारी देवपाल 37 वर्ष  
सुर्यपाल 3 वर्ष <sup>वासुदेवपाल</sup> ~~वासुदेवपाल~~ 28 वर्ष, राज्यपाल 28 वर्ष  
गोपाल 19 वर्ष, विक्रमपाल 26 वर्ष तथा गद्दीपाल  
8 वर्ष तक राज्य किये। 1026 को आधार मानकर  
यदि चर्मपाल की निवि निर्धारित कर लें 783  
ई० चर्मपाल का राज्यारोहण वर्ष होगा।

इस अभिलेख में विष्णु के नामों का  
भी उल्लेख किया गया है। पालवंश का स्थापक एवं  
प्रथम ऐतिहासिक राजा गोपाल था। अभिलेख  
के अनुसार कंगाल में राजनैतिक गड़बड़ी चली  
और सुरजकला मतभेद न्याय का सर्वत्र राज्य जितने  
फलस्वरूप गोपाल को अपने रक्षक के रूप में  
जनता ने चुना। गोपाल के पश्चात् चर्मपाल  
सिंहासनाखट हुआ जो अक्रि शाली एवं महत्वाकांक्षी  
हुआ। इसकी तुलना दानपत्र लेख में रघु एवं  
राज से किया गया है जिसमें राज्यों के नाम  
दिये गये हैं, मोज, मतभय, कल, यदु, यलक  
अंतिम गांधार और किर।

खालिमपुर नामक लेख एवं दूसरे लेखों  
के आधार पर चर्मपाल के राजनीतिक कार्य को  
दो भागों में विभक्त किया गया है।

सर्वप्रथम चर्मपाल को असफलता ही मिली थी उक्त  
 गुर्जर प्रतिहार राजाओं के हथियों पराजय का सामना  
 करना पड़ा। जंगल और रामुना की घाटी में  
 राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया किन्तु इन  
 पराजय के बावजूद उस समय के पश्चात् उक्त माह  
 का शक्तिशाली शासक माह चर्मपाल है तथा  
 चर्मपाल ने राष्ट्रकूट एवं गुर्जर राजाओं पर  
 अधिकार कर कान्धकुब्ज पर अधिकार का  
 लिया जो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी।  
 मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख  
 में चर्मपाल की धार्मिक सफलताओं का उल्लेख  
 किया गया है। इस अभिलेख में चर्मपाल  
 की चार अंगोपाली शक्तिशाली सेना का उल्लेख  
 है। मिहिर भोज के अतिरिक्त उत्तर भारत के  
 सभी शासक उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर लिये  
 थे। लामा तारानाथ ने उल्लेख किया है कि  
 चर्मपाल का राज्य काभरवा गाँव से तिरहुत  
 तक पूरब में जंगल सागर से शालवा और उक्त  
 में ब जांधार तक विस्तृत था। इन सभी विषयों  
 के पश्चात् उसने परमेश्वर की उपाधि चारण  
 की थी इस लेख में चर्मपाल को चर्मविजयी  
 राजा कहा है।

इस लेख से चर्मपाल की शासन  
 व्यवस्था का पता चलता है। जंगलों के जंगल  
 के लिए दान दिया गया उसकी शक्ति का  
 वर्णन किया एवं पदाधिकारियों की शक्ति दी  
 गयी। जिन्हें इन दान के सम्बन्ध में सूचना दी  
 गयी। ये सभी पदाधिकारी शासन व्यवस्था  
 को प्रभुत्व थे। इन राजाओं को हम माजलपुर  
 लेख में भी पाते हैं।

(1) राजराजनक

(2) राजपुत्र (3) राजभाष्य (4) सेनापति (5) विद्ययपति (6) मोजपति  
 (7) राष्ट्राधिकृत (8) कंडाक्री एवं कंडासिद्धिक पात्रोपेत  
 ये सभी राजा के अधिकारी थे। साम्राज्य अभिलेख  
 में ग्राम शासन का उल्लेख किया गया था। ग्राम  
 स्वतंत्र इकाई थी। ग्राम पंचायत का मुखिया  
 गहतर कहलाता था। केन्द्रिय पदाधिकारियों  
 ग्रामपदाधिकारियों से परामर्श लेकर उन जगहों  
 को देने का अधिकार था। शासन व्यवस्था  
 के अन्तर्गत यह एक महत्वपूर्ण इकाई माना जा  
 सकता है।